न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 24/2012

बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री मनोहरलाल जाति वैश्य निवासी कस्बा भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी मकान नम्बर 160 गोल्डन वार्क, पालकी मीणा, आगरा रोड जयपुर (राज)

........अपीलान्ट

बनाम

1. गोपालराम पुत्र स्व0 श्री मनोहरलाल जाति वैश्य निवासी सुनार गली, भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर

............असल रैस्पोडेन्ट

2. राजेश पुत्र स्व0 श्री मनोहरलाल निवासी भुसावर हाल निवासी मकान संख्या बी–249 जे.जे. कालौनी इन्द्रपुरी नई दिल्ली।
3. श्रीमती शकुन्तला पत्नी बाबूलाल गुप्ता पुत्री स्व0 श्री मनोहरलाल जाति वैश्य निवासी पहाडगंज शान्ति ट्रेवल ऐजेन्सी जी.बी. रोड नई दिल्ली।
4. श्रीमती सरोज पत्नी रमेशचन्द गोयल पुत्र मनोहरलाल जाति वैश्य निवासी माडल बस्ती आर्य समाज मंदिर के पास मकान नम्बर 60 फिल्मस्तान सिनेमा के सामने नई दिल्ली

........तरतीवी रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.05.2000 नायब तहसीलदार भुसावर बाबत इन्तकाल नम्बर 4529 वाकै ग्राम भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित :–
1–श्री रमनलाल, अभिभाषक अपी0,
2–श्री ..... रेस्पो0 अनु0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 29.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार भुसावर दिनांक 19.53.2000 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में वसीयतनामा के आधार नामान्तरकरण संख्या 4529 ग्राम भुसावर तहसील वैर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 4529 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई। रैस्पो0 को कई बार आवाज लगवाई गई लेकिन वह उपस्थित नहीं आये। बकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि स्व0 श्री मनोहरलाल ने अपनी मृत्य के वक्त खसरा नम्बर 1068 रकवा 4 वीघा 8 विस्वा, 1069 रकवा 19 विस्वा, 2141 रकवा 3 वीघा 12 विस्वा मुल किता 3 रकवा 8 वीघा 09 विस्वा बाकै ग्राम भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर में अपने कब्जे व हिस्से की खातेदारी व आराजी छोडी थी। इस 1/3 हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट व रैस्पो0 बाबूलाल व राजेश का हिस्सा बराबर शामिल काश्त रहकर अपने पिता मनोहनलाल के जीवनकाल से ही करते चले आ रहे है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 28.03.2012 को भुसावर तहसील में उस जमीन की जानकारी की क्योकि मै अपने हिस्से की आराजी का बेचना चाहता था और उसकी नकल प्राप्त करने गया तो राजस्व कर्मचारियों ने रिकार्ड देखकर बताया कि मनोहरलाल के 1/3 हिस्से पर दिनांक 19.05.2000 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 4529 से वसीयतनामा के आधार पर रैस्पो0 गोपालराम ने अपने नाम नामान्तरकरण स्वीकार कराया है जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये तुरंत दिनांक 29.03.2012 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 30.03.2012 को प्राप्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी इसलिये अपील नामान्तरकरण आदेश की नकल प्राप्त होने से अन्दर म्याद 30 दिवस में पेश है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम अलग से संलग्न है। उन्होने यह भी जाहिर किया किया कि अपीलान्ट व उसके दोनों भाई गोपालराम व राजेश पिताजी की मृत्यु के वक्त तक शामिल काश्त करते थे। अपीलान्ट अपने रोजगार के लिये दिल्ली चला गया था इसके बाद अपीलान्ट के पीछे से बिना किसी जानकारी के गोपालराम के मन में बदयान्ती आ गई और पिताजी मनोहरलाल को बहला फुसलाकर फर्जी बसीयतनामा पंजीकृत करा लिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। उन्होने यह भी जाहिर किया कि मनोहरलाल को वसीयतनामा करने का कोई अधिकार नहीं था क्योकि उक्त आराजी चारों बाप बेटो ने अपनी कमाई से पिताजी के नाम खरीदी थी क्योकि पिताजी परिवार के मुखिया थे। अपीलान्ट के पैत्रिक मकान का भी बटवारा अभी नहीं हुआ है और इस आराजी का भी बटवारा नहीं है तथा हमारे बाबा द्वारा छोडी गई पूँजी जर जेवर का भी अभी बटवारा नहीं हुआ है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि वसीयत को प्रोबेट कराना आवश्यक है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4529 दिनांक 19.05.2000 ग्राम भुसावर तहसील वैर का अवलोकन किया गया है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 4529 के कॉलम संख्या 14 व 16 में हो रहे इन्द्राजों से स्पष्ट है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विवादित नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर गोपालराम पुत्र मनोहरलाल के नाम खोला जाकर स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने वसीयत को प्रोबेट कराने का जो तर्क किया है उससे हम सहमत नहीं है क्योकि आर.आर.टी. 1986 पेज 135 उनवान भैरया बनाम चौथू में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह तय किया गया है कि "A will is not required to be probated in rajasthan where the will, has been made by person resident in rajasthan" राजस्थान में वसीयत का प्रोबेट कराना जरूरी नहीं है। वसीयतनामा रजिस्टर्ड है व इस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे कथित वसीयतनामा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया हो। नामान्तरकरण एक फिसकल कार्यवाही है जिसमें पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होते है। पक्षकार अपने अधिकार सक्षम न्यायालय में तय कराने के लिये स्वतंत्र है। नायब तहसीलदार भुसावर द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 4529 दिनांक 19.05.2000 रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अत: आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)